



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224528
CG-DL-E-18012021-224528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942

No. 217]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 237(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) तहसील के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में, “मुंबई शहर परिवहन परियोजना-III के अंतर्गत पनवेल-कर्जत दोहरी लाइन उपनगरीय रेलवे कॉरीडोर” परियोजना कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	2	3	4
1	उप जिलाधिकारी (भूसंपादन) रायगड (0) अलिबाग	पनवेल, खालापूर व कर्जत	रायगड

[फा.सं. एमटी/डब्ल्यू/366/एमआरविसि - पीएच.III]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Panvel-Karjat double line suburban Railway corridor under MTUP-III**” in the State of Maharashtra relating to Tahsil Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Tahsil	District
1	2	3	4
1	Dy. Collector (Land Acquisition) Raigad (o) Alibag	Panvel, Khalapur & Karjat	Raigad

[F. No. MT/W/366/MRVC-PH. III]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)